Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 40–2021] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 5, 2021 (ASVINA 13, 1943 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 सितम्बर, 2021

संख्या 12/184–2011 Pura/3552–57.– हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 12/184–2011– Pura /1284–89, दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को संरक्षित स्मारकों के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2,3,4,5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित स्मारक क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं:–

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील तथा जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
किला जफरगढ़	किला जफरगढ़	किला जफरगढ़	जुलाना, जीन्द	1531	कनाल–मरला 2 –16	मकबुजा जंगलात	यह किला, तहसील जुलाना, जिला जींद में, जींद–रोहतक रोड (NH-352) के पास किला जफरगढ़ गांव में अवस्थित हैं। जींद रियासत के शासकों ने इस छोटे किले का निर्माण किया था। इसका उपयोग मुख्यतः शासकों द्वारा हथियारों के भण्डारण, नागरिक आपूर्ति और घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। हालांकि यह इमारत एक चौकी के रूप में बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे किला कहते हैं। गढ़ी के आकार की इमारत को अब बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। इसकी भीतरी कोठरियाँ अभी भी बच रही हैं। किले की इमारत पहले से ही अपने मुख्यद्वार और टॉवरों स्तभों को खो चुकी है, जबकि तीन तरफ की दीवारें मरम्मत योग्य क्षति के साथ बच गई है। यह (लाखौरी)

							छोटी इंटों से बना है और अभी उस समय के राजा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध आंगन (बारहदरी) है।

अशोक खेमका,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 27th September, 2021

No. 12/184-2011 Pura/3552-57.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), and with reference to Haryana Government, Archaeology and Museums Department, notification Number 12/184-2011-Pura/1284-89 dated the 30th April, 2021, the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical monument specified in column 1 of the Schedule given below to be a protected monument and archaeological site and remains specified in columns 2 ,3,4,5 and 6 of the said Schedule to be protected area :-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	**Name of archaeological sites and remains**	**Name of village/city**	**Name of tehsil and district.**	**Revenue Khasra / Kila number under protection.**	**Area to be protected**	**Ownership**	**Remarks**
1	2	3	4	5	6	7	8
Qila Zafargarh	Qila Zafargarh	Qila Zafargarh	Julana, Jind	1531	K – M 2 – 16	Forest Department Haryana	The fort is located in village Qila Zafargarh, near Jind-Rohtak road (NH-352) at Tehsil Julana, district Jind. The rulers of Jind Princely state built this small fortress. It was mainly used by the rulers for the storage of arms, civil supplies and training of the horses. Though the building was built as an outpost, the local people call it Qila. The citadel-shaped building is now absolutely abandoned. Its inner chambers are still surviving. The fort building has already lost its main gate and tower posts while walls on three sides have survived with repairable damages. It is made of small bricks (Lakhori) and still has the famous courtyard (baradari) used by the king at that time.

DR. ASHOK KHEMKA,
Principal, Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department.

9337—C.S.—H.G.P., Pkl.